

प्ररूप-ड
(नियम 7(2) देखिये)
अनुशंसा

प्रति,

परिक्षेत्र अधिकारी
सोनाखान (कसडोल)

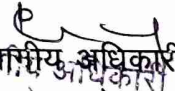
विषय :- प्राकृतिक रूप से उगे वृक्ष को कटाई हेतु अनुशंसा।

विषयान्तर्गत आवेदक युधिष्ठिर प्रजापति पिता भूखउ प्रजापति जाति कुम्हार निवासी कटगी का आवेदन दिनांक 01/04/2025 को प्राप्त हुआ। राजस्व विभाग एवं वनविभाग के संयुक्त निरीक्षण हेतु ज्ञापन दिनांक 28/04/2025 को जारी किया गया। उप वनमण्डलाधिकारी का प्रतिवेदन प्राप्त। तहसीलदार कसडोल का प्रतिवेदन अप्राप्त। उप वनमण्डलाधिकारी का अभिमत दिनांक 28/05/2025 को प्राप्त हुआ। आवेदन में उल्लेखित तथ्यों का सत्यापन किया गया। स्थल पर कटाई हेतु आवेदित वृक्षों की स्थिति निम्नानुसार है:-

अभिलेख एवं स्थल निरीक्षण के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि शासकीय भूमि खसरा नंबर 2100/2, रकबा 0.097 हे. भूमि घर के आंगन में पीपल वृक्ष के डंगाल को छटनी करने अनुमति चाहता है। अतः वृक्ष कटाई के आवेदन पर अनुशंसा अभिव्यक्त की जाती है। नियमानुसार राशि जमा करें।

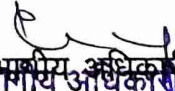
छत्तीसगढ़ वनउपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क्र 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम, 2001 का पालन नहीं किए जाने पर यह अनुशंसा शून्य होगी।

यह अनुशंसा आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी।


अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
कसडोल (रा.)

प्रतिलिपि :-

01. कलेक्टर जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
02. वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल बलौदाबाजार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
03. तहसीलदार कसडोल को वृक्ष कटाई पश्चात राजस्व अभिलेख अद्यतन करने हेतु।


अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
कसडोल (रा.)

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा०) कसडोल, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ०ग०)

// आदेश //

क्रमांक / ०५ / अ.वि.अ. / वाचक / 2025

कसडोल दिनांक ०५/०६/२०२५

इस न्यायालय का रा.प्र.क्र २०२५०६२११३००००६/अ-६२ वर्ष २०२४-२५ में पारित आदेश दिनांक/०६/२०२५ आवेदक युधिष्ठिर प्रजापति पिता भूखउ प्रजापति जाति कुम्हार निवासी कटगी तहसील कसडोल, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ०ग०) स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर २१००/२ रकबा ०.०९७ हे. भूमि घर के आंगन में पीपल वृक्ष के डंगाल को छटनी करने अनुमति चाहा है। अतएव छ.ग.भू-राजस्व संहिता १९५९ की धारा २४०, २४१ के तहत वृक्ष कटाई की अनुमति निम्नानुसार शर्तों पर दिया जाता है-

शर्त:-

०१. वृक्षों को काटने की पारिश्रमिक आवेदक द्वारा वहन किया जावेगा।
०२. काटे गये वृक्षों को चिन्हाकित कर फोटोग्राफी किया जावे।
०३. कलेवर की सुरक्षा की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
०४. काटे गये वृक्षों की कलेवर की नीलामी वन विभाग/आवेदक द्वारा किया जाकर नीलामी की राशि नियमानुसार शासकीय कोष में जमा करें।
०५. वृक्षों की कटाई सावधानी पूर्वक किया जावे।
०६. सूर्यास्त तथा सूर्योदय के बीच कोई भी वन पैदावार नहीं काटी जायेगी और न ही ले जाई जावेगी।
०७. वृक्षों को काटते समय किसी प्रकार का जनहानि न हो इसका विशेष ध्यान रखा जावे।
०८. नियम ०७(४) एवं ८(२) में उल्लेखित है कि जमा राशि से प्रत्येक काटे जाने वाले वृक्षों के १० गुणा की संख्या में वन विभाग द्वारा वृक्षा रोपण एवं उनका अनुरक्षण किया जावेगा। वन विभाग द्वारा उक्त वृक्षारोपण वन विभाग के भूमि पर किया जावेगा।
०९. वन मण्डलाधिकारी वृक्ष की कटाई एवं डिपो तक परिवहन सुनिश्चित करते हुए एवं निर्धारित दर पर लकड़ी का मूल्य परिगणित करते हुए कुल मूल्य का ९० प्रतिशत राशि भूमिस्वामी के बैंक खाते में निक्षेपित कराएगा एवं शेष १० प्रतिशत राशि वन विभाग के निर्धारित खाते में जमा की जाएगी। जमा राशि से प्रत्येक काटे जाने वाले वृक्ष के १० गुणा की संख्या में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण एवं उनका अनुरक्षण किया जाएगा।



क्रमांक / ०५ / अ.वि.अ. / वाचक / 2025
प्रतिलिपि :-

अनुविभागीय अधिकारी (रा०)
कसडोल (छ.ग.)

कसडोल दिनांक ०५/०६/२०२५

०१. कलेक्टर जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
०२. वनमंडलाधिकारी वन मंडल बलौदाबाजार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
०३. अनुविभागीय अधिकारी (वन) कसडोल को सूचनार्थ।
०४. तहसीलदार कसडोल को सूचनार्थ।
०५. आवेदक श्री युधिष्ठिर प्रजापति पिता भूखउ प्रजापति जाति कुम्हार निवासी कटगी को सूचनार्थ।

अनुविभागीय अधिकारी (रा०)
कसडोल (छ.ग.)